उत्तर प्रदेश सरकार

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

संख्या–1340 / चालीस–2001–2001–15(10) / 99

लखनऊ, दिनांक 03 अगस्त, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में निवासरत जन सामान्य व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस दिशा में जनका पूर्ण योगदान रहा हो, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करते हुए उन्हें पुरस्कृत किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ताकि उससे प्रेरणा होकर समाज के सभी नागरिकों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके।

अतएव प्रश्नगत उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्यपाल महोदय, गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना प्रदेश में प्रारम्भ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिसके लिये योजना का निम्न स्वरूप / कार्यकारी सिद्धान्त विनिश्चित किया गया है:–

1–योजना का नाम– यह योजना गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता योजना कहलायेगी।

2–संख्या एवं राशि– गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के अन्तर्गत एक महानुभाव को रुपये एक लाख का नकद पुरस्कार व एक प्रशस्ति पत्र गुरु गोविन्द सिंह जी के जन्म तिथि पर प्रदान किया जायेगा।

3–अर्हतायें– गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हेतु निम्नलिखित अर्हतायें होना आवश्यक है:–

क–भारत का मूल नागरिक हो,

ख–उ0प्र0 राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हो,

ग–मानवाधिकार, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो,

घ–गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार न दिया जा चुका हो,

4—प्रक्रिया— क— समाचार पत्रों व अन्य प्रसार माध्यमों से प्रचार—प्रसार करके व प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों से प्रचारित कराकर निर्धारित प्रारूप में पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र/नामांकन संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जायेंगे।

ख—निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों/नामांकन को संकलित कर नियम—5 में प्रावधानित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो सर्वोत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य करने वाले एक महानुभाव का चयन कर अपनी संस्तुति राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को प्रस्तुत करेगी।

5— चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

क—	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
ख—	प्रमुख सचिव, गृह विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
ग—	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित एक अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
घ—	सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उ0प्र0शासन।	सदस्य/संयोजक

6—समारोह (क) पुरस्कार वितरण के लिये समारोह का आयोजन राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा लखनऊ में या ऐसे स्थान पर जैसा कि शासन द्वारा निर्णय लिया जाय, होगा।

(ख) पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने वाले महानुभाव को समारोह में भाग लेने के लिये उनके निवास स्थान से समारोह स्थल तक आने—जाने, ठहरने व भोजन की समुचित व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी।

(ग) पुरस्कार हेतु चयनित अत्यन्त वृद्ध अथवा गम्भीर रूप से अस्वस्थ या शारीरिक रूप से पूर्णतया अशक्त तथा चलने फिरने में असमर्थ महानुभाव को सम्मान समारोह में भाग लेने हेतु अपनी सहायता के लिये सहायक साथ लाने की सुविधा देय होगी तथा उक्त सहायक को भी आने—जाने, भोजन तथा आवास की यथावत व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी।

ह0/—
अशोक घोष
सचिव।

संख्या-1340(1)/40-2001-15(10)/99-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3- अधीक्षक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0,लखनऊ।
4- निदेशक,सूचना विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
5- स्थानिक आयुक्त,उ0प्र0, नई दिल्ली।
6- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

ह0/-

(डा0 नन्द लाल)
अनु सचिव।

"गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार"

(राष्ट्रीय एकीकरण के निमित्त)

यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष को मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय,राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं राष्ट्र की रक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं विभिन्न धर्मों में एकता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा उन निर्धारित वर्षों में किये गये (जिनका उल्लेख संलग्न पत्र में है) उत्कृष्ट योगदान के लिये होगा।

(1) प्रस्तावक का नाम,पद तथा पता:—

(2) प्रस्तावित व्यक्ति का नाम और पता:—

(3) प्रस्तावित व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा विभिन्न वर्षों में राष्ट्रीय एकीकरण की अभिवृद्धि के लिये किये गये विशिष्ट प्रयास के संबन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी:—

(क) जन्म तिथि:—

(ख) शैक्षिक योग्यतायें:—

(ग) वर्तमान व्यवसाय:—

(घ) मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं राष्ट्र की रक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं विभिन्न धर्मों के एकता की स्थापना के लिये विगत दस वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण:—

(ङ) कोई राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया हो तो उनका विवरण:—

(4) नामांकन को न्यायोचित ठहराने का औचित्य:—

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)